राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1815/2023

ललिता जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा डिवीजन, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2023

आदेश की दिनांक : 09.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सारा परवीन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की योग्यता एमएससी (रसायन) जो अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति से पूर्व समय पर एवं राज्य सेवा में रहते हुये अर्जित की है, उस पर विचार करते हुये व्याख्याता के पद पर एवं तदुपरांत प्रधानाचार्य के पद पर जो अभ्यर्थी श्रीमती सजला अग्रवाल एवं श्रीमती मंजुला द्विवेदी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। उसी तरह अपीलार्थी को भी वरियता

को निर्धारित करते हुये व्याख्याता के पद पर और तत्पश्चात् उसकी वरिष्ठता के अनुसार प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जावे और रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उसके नाम पर विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 20.03.1990 को हुई थी, अनुलग्नक–3 जिसमें अपीलार्थी की एमएससी बी.एड. की योग्यता अंकित होना दर्शाया गया है। उनका कथन है कि नियुक्ति के समय इसी तरह दो अभ्यर्थी जिनका नाम सजला अग्रवाल एवं मंजुला द्विवेदी जो एमएससी बी.एड. की योग्यता रखते थे। तदुपरांत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.12.1990 के द्वारा तदर्थ आधार पर व्याख्याता का कार्यभार दिया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 12.12.1990 से व्याख्याता के पद पर संतोषजनक कार्य किया। वर्ष 2013–14 में व्याख्याता के पद के लिये पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का नाम पर विचार होना छूट गया और उक्त दोनो अभ्यर्थियों को डीपीसी वर्ष 2013–14 में आदेश दिनांक 23.03.2015 के द्वारा पदोन्नति दे दी गई। जबकि अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दी गई। अपीलार्थी कैंसर जैसी बीमारी से पीडित है, जिसका उपचार चल रहा है। जिसके कारण अपीलार्थी उक्त मामले के संबंध में समय पर पैरवी नहीं कर सका और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा व्याख्याता के पद पर डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति योग्य था और इस प्रकार अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं आर्थिक दृष्टि से विपरीत प्रभाव पडा। चूंकि अपीलार्थी भी उक्त दोनों अभ्यर्थियो के समान पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की योग्यता एमएससी (रसायन) जो अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति से पूर्व समय पर एवं राज्य सेवा में रहते हुये अर्जित की है, उस पर विचार करते हुये व्याख्याता के पद पर एवं तदुपरांत प्रधानाचार्य के पद पर जो अभ्यर्थी श्रीमती सजला अग्रवाल एवं श्रीमती मंजुला द्विवेदी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। उसी तरह अपीलार्थी को भी वरियता को निर्धारित करते हुये व्याख्याता के पद पर और तत्पश्चात् उसकी वरिष्ठता के अनुसार प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016—17 के बजाय वर्ष 2013—14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जावे और रिक्ति वर्ष 2021—22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उसके नाम पर विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी को उसकी योग्यता के आधार पर नियमानुसार निश्चित डीपीसी वर्ष के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी जिस वर्ष के लिये पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया। उसी वर्ष के विरूद्ध उसे व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। इस प्रकार श्रीमती सजला अग्रवाल एवं श्रीमती मंजुला द्विवेदी से अपीलार्थी की तुलना करना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब—उल—जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें एमएससी (रसायन) योग्यता का उल्लेख किया गया, परंतु डीपीसी वर्ष 2013—14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 01.04.2013 से डीपीसी वर्ष 2013—14 के लिये किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता के संबंध में त्रुटि की गई और जिसके कारण अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा

पीएन प्रेमाचंद्ररण बनाम केरला राज्य व अन्य (2004) 1 एससीसी 245 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन.जे. सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य (15316 कैट दिल्ली), आर.आर. वर्मा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य एससी 0514/1980 इस प्रकार के अनेको मामलो में इस प्रकार की पदोन्नति के संबंध में न्यायिक विनिश्चय प्रतिपादित किये हैं। अतः अपीलार्थी भी उक्त न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर पदोन्नति पाने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 20.03.1990 को हुई थी, अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर से मॉस्टर ऑफ साइंस (एमएससी रसायन विज्ञान) से दिनांक 15.02.1992 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 20.03.1990 को हुई थी। जहां तक अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–3 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1992 में एमएससी (रसायन) की योग्यता एवं उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था और अनुलग्नक–3 कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र (प्रपत्र–10) जिसमें अपीलार्थी की योग्यता एमएससी (रसायन) में उत्तीर्ण करने की दिनांक 01.07.1988 अंकित है तथा अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को स्वायत्तशासी राजकीय कॉलेज, कोटा द्वारा वर्ष 1988 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण घोषित होने पर प्रमाण पत्र जारी किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1988 में एमएससी (रसायन) में योग्यता अर्जित कर ली थी और अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा दिनांक 20.03.1990 को हुई थी, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी उक्त योग्यता नियुक्ति से पूर्व प्राप्त कर चुका था एवं उक्त योग्यता का अंकन भी उक्त प्रपत्र में अंकित किया गया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी योग्यता का सही संधारण नहीं होने पर अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति होने से वंचित होना पडा, जबकि अपीलार्थी हमारे मत में उक्त प्रमाण पत्रों के आधार

पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार था। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में दर्ज योग्यता को ध्यान में रखते हुये रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उसे रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पायी जाती है तो उसे जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुये नियमानुसार समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें और रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाये जाने पर उसके नाम पर विचार किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)